रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3.—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 135] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 23, 2007/चैत्र 2, 1929
No. 135] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 23, 2007/CHAITRA 2, 1929

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2007

सा.का.नि. 230(अ).—विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 8 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 7 दिसम्बर, 2006 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 738(अ) का अतिक्रमण करते हुए, केन्द्रीय सरकार, उन संबंधित कार्यों को छोड़कर जो ऐसे अतिक्रमण से पहले किए गए अथवा किए जाने हैं, एतद्द्वारा एक सलाहकार बोर्ड का एक वर्ष के लिए गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :–

(i) माननीय श्री न्यायमूर्ति मनमोहन सरीन, अध्यक्ष

(ii) माननीय सुश्री न्यायमूर्ति गीता मित्तल, सदस्य

(iii) माननीय श्री न्यायमूर्ति कैलाश गंभीर, सदस्य

2. यह अधिसूचना 23 मार्च, 2007 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 674/1/2005-सी.शु. VIII]

एन. राजगोपालन, अवर सचिव

पाद टिप्पणी : अधिसूचना सं. सा.का.नि. 738(अ) भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में दिनांक 7 दिसम्बर, 2006 को प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd March, 2007

G.S.R. 230(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 8 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) and in supersession of the Notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. G. S. R. 738(E) dated 7th December, 2006 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby constitutes an Advisory Board for a period of one year, consisting of :—

(i) Hon'ble Mr. Justice Manmohan Sarin, Chairman

(ii) Hon'ble Ms. Justice Gita Mittal, Member

(iii) Hon'ble Mr. Justice Kailash Gambhir, Member

2. This Notification shall come into force with effect from 23rd March, 2007.

[F. No. 674/1/2005-Cus. VIII]

N. RAJAGOPALAN, Under Secy.

Footnote : The Notification No. G.S.R. 738(E) dated 7th December, 2006 was published in the Gazette of India (Extraordinary), Part II, Section 3, Sub-section (i) on the 7th day of December, 2006.

1133 GI/2007

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.